XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30.01.2012		

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

E.C. Act वाद संख्या–100/2011

धारा–6 (A) आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत

राज्य

बनाम

1. रंजीत जायसवाल
2. अजीत जायसवाल

दोनों के पिता–सत्यनारायण जायसवाल

साकिन–जगैली, थाना–श्रीनगर, जिला–पूर्णियाँ

3. ट्रैक्टर संख्या–BR 11D/7788 ट्रैक्टर मालिक
4. ट्रैक्टर चालक (अज्ञात)

.....

विपक्षी

आ दे श

यह वाद प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, श्रीनगर द्वारा के0 नगर (श्रीनगर) में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर काण्ड संख्या–60/2011 द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रारम्भ की गयी है। दिनांक 05.03.2011 की रात्रि में ट्रैक्टर संख्या–BR 11D/7788 पर 104 बैग यूरिया, 20 बैग अमोनियम सल्फेट पूर्णियाँ–रानीगंज सड़क पर मोटरसाईकिल से प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, श्रीनगर द्वारा पीछा कर पकड़ा गया। यह उर्वरक अररिया जिला ले जाया जा रहा था। ट्रैक्टर चालक के फरार होने से स्पष्ट होता है कि उर्वरक कालाबाजारी के उद्देश्य से रात्रि में ले जाया जा रहा था। विपक्षी संख्या–1 एवं 2 द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की अवहेलना करने के कारण कारण–पृच्छा की मांग की गयी।

थपक्षी संख्या–1 रंजीत जायसवाल एवं विपक्षी संख्या–3 विद्यानन्द जायसवाल जप्त ट्रैक्टर के संयुक्त मालिक है तथा विपक्षी संख्या–2 अजीत जायसवाल कोशी खाद बीज भंडार, जगैली के प्रोपराईटर है, जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या–67/2008–09 है। विपक्षी संख्या–2 जप्त उर्वरक सिंधिया गाँव के विभिन्न किसानों को बेच चुके थे और बेचे गये उर्वरक को किसानों के घर पहुँचाने के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर को रोकर थाना में खबर किया गया। बाद में अनुसंधान के क्रम में थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि तथ्य में भूल के कारण मामला दर्ज किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा कालाबाजारी नहीं की जा रही थी। अतः विपक्षीगण इस न्यायालय से निवेदन करता है कि जप्त उर्वरक एवं ट्रैक्टर को मुक्त करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 16.12.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपनी लिखित आवेदन में दिये गये बातों को दोहराया गया एवं इस वाद को खारिज करने की मांग किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा भी बताया गया कि पुलिस अनुसंधान में स्पष्ट हुआ है कि तथ्यों में भूल होने के कारण यह मामला दर्ज हो गया है। इस मामले में कालाबाजारी होने की बात की पुष्टि नहीं हो पायी,

XIV-Form No. 563

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	इसलिये इसे खारिज किया जा सकता है। पुनः दिनांक 27.01.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी। उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के बाद वर्तमान वाद को खारिज करने का निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता हैं। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	